

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ०प्र०।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक: 27 नवम्बर, 06

विषय: मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों/स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड कमेटी को दिये गये खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत (कन्वर्जन कास्ट) का विशेष आडिट कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि मध्यान्ह भोजन योजना एक अत्यन्त जनोपयोगी योजना है जिसके अंतर्गत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 1.86 करोड़ छात्र-छात्राओं को प्रतिदिन विद्यालय में पका-पकाया भोजन दिया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को नित्यप्रति भोजन उपलब्ध कराने का कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा संपादित किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में यह कार्य मुख्यतः स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड कमेटियों के द्वारा किया जा रहा है। भोजन बनाने हेतु खाद्यान्न एवं इसे पकाने हेतु वांछित परिवर्तन लागत (कन्वर्जन कास्ट) भी ग्राम पंचायतों एवं नगर क्षेत्रों में स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड कमेटियों को उपलब्ध करायी जा रही है। प्राप्त खाद्यान्न तथा परिवर्तन लागत का लेखा-जोखा भी ग्राम सभा स्तर पर ग्राम प्रधान की देख-रेख में तथा नगर क्षेत्रों में स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड कमेटियों के द्वारा रखा जा रहा है।

योजना के महत्व को देखते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि इस हेतु दिये जा रहे खाद्यान्न तथा परिवर्तन लागत का लेखा-जोखा ग्राम पंचायत एवं स्वयं सेवी संस्था/वार्ड कमेटी के स्तर पर भली-भाँति रखा जा रहा है अथवा नहीं तथा लाभार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं अथवा नहीं? अन्यथा खाद्यान्न तथा परिवर्तन लागत के दुरुपयोग के कारण विसंगतिपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।

उपर्युक्त परिदृश्य में योजनान्तर्गत दिनांक 1 जुलाई, 06 से 30 नवम्बर, 06 की अवधि के मध्य प्राप्त खाद्यान्न तथा परिवर्तन लागत की धनराशि का कुछ चयनित विद्यालयों में विशेष आडिट कराया जायेगा। इस हेतु जनपद स्तर पर निम्न अधिकारियों की अध्यक्षता में आडिट टीमों का गठन किया जायेगा-

1. जिला विद्यालय निरीक्षक
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
3. जिला आपूर्ति अधिकारी
4. जिला पंचायत राज अधिकारी
5. लेखाधिकारी, कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी

प्रत्येक आडिट टीम में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

संबंधित विकास खण्ड के

1. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस०डी०आई०
2. पूर्ति निरीक्षक,
3. ए०डी०ओ० पंचायत

4. टीम लीडर के कार्यालय के लेखाकार (जहां टीम लीडर के कार्यालय में कोई लेखाकार न हो वहां लेखाकार की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय से की जायेगी।)

दिनांक 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर 06 के मध्य एक टीम द्वारा नगरीय क्षेत्र तथा 4 टीमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आडिट किया जायेगा। आडिट हेतु विकास खण्डों/ग्राम पंचायतों/नगरीय क्षेत्रों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

नगरीय क्षेत्र में आडिट की इकाई एक वार्ड अथवा कोई स्वयं सेवी संस्था होगी। उक्त वार्ड/स्वयं सेवी संस्था के क्षेत्र में स्थित सभी विद्यालयों में योजना का आडिट किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक टीम द्वारा कम से कम 5 ग्राम पंचायतों का आडिट कार्य सम्पन्न किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थित समस्त विद्यालयों का आडिट किया जायेगा।

आडिट में ग्राम पंचायत/स्वयं सेवी संस्था/वार्ड में उपलब्ध अभिलेख का मिलान विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना पंजिका/उपस्थिति पंजिका से सघनतापूर्वक किया जाये। जिन ग्राम पंचायतों/स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड का चयन आडिट हेतु किया जाये उनसे संबंधित ग्राम प्रधान/स्वयं सेवी संस्था के प्रबंधक/वार्ड समिति के पदाधिकारी, कोटेदार, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा प्रधानाध्यापक को आडिट की तिथि से अवगत अवश्य करा दिया जाये, जिससे कि वे आडिट के दिनांक पर अभिलेखों सहित आडिट टीम के सहयोग हेतु उपस्थित रहें।

आडिट टीम अपनी आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगी। यदि आडिट में कतिपय अनियमिततायें संज्ञान में आती हैं तो उत्तरदायी के प्रति कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायें। जिलाधिकारी आडिट टीमों के निष्कर्षों एवं कृत कार्यवाही से दिनांक 26-12-2006 तक निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना को अवगत करायेंगे।

आडिट टीम के सहायतार्थ प्रारूप तैयार कर संलग्न है। आडिट टीम इसी प्रारूप पर ग्राम पंचायतों/स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड कमेटी का आडिट करेगी एवं इसके सभी बिन्दुओं पर अनिवार्य रूप से आख्या अंकित कर जनपदीय टास्क फोर्स को उपलब्ध करायेगी।

संलग्नक: उक्तवत्

भवदीय

ह0

(नवीन चन्द्र बाजपेई)

मुख्य सचिव,

पृष्ठांकन संख्या

/2006-07,

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त मण्डलायुक्त
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना, लखनऊ।
7. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।

ह0

(जे0एस0 दीपक)

सचिव, बेसिक शिक्षा

उ0प्र0 शासन।

नगर क्षेत्र की स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड कमेटियों के आडिट हेतु आडिट प्रारूप

1. स्वयं सेवी संस्था/वार्ड कमेटी का नाम
2. नगर का नाम
3. स्वयं सेवी संस्था/वार्ड कमेटी द्वारा सेवित प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
4. प्राथमिक विद्यालयों के नाम
 ष
 षष
 षषष
 षषषष
5. स्वयं सेवी संस्था/वार्ड कमेटी में 01 जुलाई 2006 को उपलब्ध खाद्यान्न (गेहूँ + चावल) = किग्रा
6. स्वयं सेवी संस्था/वार्ड कमेटी 01 जुलाई 2006 को उपलब्ध परिवर्तन लागत = रु0
7. स्वयं सेवी संस्था/वार्ड कमेटी में मध्यान्ह भोजन योजना के आधार भूत सूचना तालिका:—

माह	माह में कार्य दिवसों की संख्या	' कितने दिन भोजन दिया गया	" 01 जुलाई 06 से 30 नवम्बर 06 तक कितने बच्चों ने भोजन किया	+ माह में प्राप्त खाद्यान्न (गेहूँ + चावल)	- माह में प्रयुक्त खाद्यान्न (गेहूँ + चावल)	रु माह में प्राप्त परिवर्तन लागत	/ माह में प्रयुक्त परिवर्तन लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
जुलाई							
अगस्त							
सितम्बर							
अक्टूबर							
नवम्बर							
योग							

तालिका-1- आधारभूत आंकड़े

- ' विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्राप्त की जाय।
- " विद्यालय में भोजन दिये जाने वाले दिनों की उपस्थिति का मासिक योग प्रत्ये विद्यालय के प्रधान अध्यापक से प्राप्त करें। मध्यान्ह भोजन योजना पंजिका में कक्षा-1 से कक्षा-5 तक के छात्रों का योग किया जाये। कृपया उदाहरण देखें (पृष्ठ संख्या 05)।
- + यह सूचना जिलापूर्ति अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक से प्राप्त करें।

- रु यह सूचना बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से प्राप्त करें।
 - यह सूचना स्वयं सेवी संस्था से प्राप्त करें।

खाद्यान्न की गणना

8. 30 नवम्बर, 06 तक उपलब्ध कराया गया कुल खाद्यान्न (गेहूँ + चावल) = (बिन्दु 5)
 + (तालिका-1 के स्तम्भ-5 का योग) = किग्रा0
9. 30 नवम्बर, 06 तक प्रयुक्त खाद्यान्न = तालिका-1 के स्तम्भ-6 का योग =
 किग्रा0
10. अवशेष खाद्यान्न = बिन्दु 5 - बिन्दु 6 = किग्रा0

परिवर्तन लागत की गणना

11. 30 नवम्बर, 06 तक उपलब्ध करायी गयी परिवर्तन लागत = बिन्दु 6 + (तालिका-1
 के स्तम्भ-7 का योग) = रू0
12. कुल प्रयुक्त परिवर्तन लागत = तालिका-1 के स्तम्भ-8 का योग = रू0
13. अवशेष परिवर्तन लागत = बिन्दु 11 - बिन्दु 12

खाद्यान्न का सैद्धान्तिक उपभोग तथा अवशेष का भौतिक सत्यापन:-

- (अ) 5 माह में उपभोग किये जाने वाले खाद्यान्न की गणना = लाभान्वित छात्रों की संख्या
 (तालिका-1 के स्तम्भ-4 का योग) × 0.1 किग्रा0 = किग्रा0
- (ब) उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न (गेहूँ + चावल) = बिन्दु 8 = किग्रा0
- (स) अवशेष खाद्यान्न जो उपलब्ध होना चाहिए = (ब) - (अ) = किग्रा0
- (द) भौतिक सत्यापन में पाया गया अवशेष खाद्यान्न (गेहूँ + चावल) = किग्रा0
- (क) बिन्दु-9 तथा बिन्दु (स) व बिन्दु (द) के अवशेषों में अंतर एवं कारण। क्या कोई अनियमितता हुई है?

परिवर्तन लागत का सैद्धान्तिक उपभोग तथा अवशेष का भौतिक सत्यापन

- 1 जुलाई से 14 अगस्त तक की परिवर्तन लागत की गणना
 ;पद्ध 1 जुलाई से 14 अगस्त तक की भोजन उपलब्ध कराये जाने वाले दिनों की दैनिक
 उपस्थिति का योग × रू0 1/- = रू0
- 15 अगस्त से 30 नवम्बर तक की परिवर्तन लागत की गणना
 ;पद्ध 15 अगस्त से 30 नवम्बर तक की भोजन उपलब्ध कराये जाने वाले दिनों की दैनिक
 उपस्थिति का योग × रू0 2/- = रू0
- ;पपद्ध कुल परिवर्तन लागत जो उपयोगी होनी चाहिए = ;पद्ध. ;पद्ध त्र रू0
- ;पअद्ध अवशेष परिवर्तन लागत = 11 - ;पपद्ध त्र रू0
- ;अद्ध स्वयं सेवी संस्था/वार्ड कमेटी में वास्तविक अवशेष परिवर्तन लागत (स्वयं सेवी
 संस्था/वार्ड कमेटी) = रू0
- ;अपद्ध बिन्दु-13, ;पअद्ध व ;अद्ध में यदि कोई अंतर पाया जाता है तो उसके क्या कारण हैं?
 क्या कोई अनियमितता प्रकाश में आयी है?

अन्य बिन्दु-

- नगर क्षेत्र के नागरिकों/अभिभावकों से भोजन नियमित मिलने तथा इसकी गुणवत्ता के सम्बन्ध में जानकारी कर इसका मिलान मध्यान्ह भोजन योजना पंजिका में दिये गये विवरण से किया जाय।

- विद्यालय में बर्तनों की उपलब्धता के संबंध में टिप्पणी
- योजना को और प्रभावी बनाने हेतु क्षेत्र से प्राप्त किसी सुझाव का उल्लेख किया जाय।
- आडिट में किसी अधिकारी/कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति के प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर नाम का उल्लेख किया जाय।

हस्ताक्षर

टीम लीडर एवं अन्य सदस्य

ग्राम पंचायतों में मध्यान्ह भोजन योजना का आडिट प्रारूप

1. ग्राम पंचायत का नाम
2. विकासखण्ड एवं जनपद
3. ग्राम पंचायत में पड़ने वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
4. प्राथमिक विद्यालयों के नाम
 - ;पद्ध
 - ;पपद्ध
 - ;पपपद्ध
 - ;पअद्ध
5. ग्राम पंचायत में 01 जुलाई 2006 को उपलब्ध खाद्यान्न (गेहूँ + चावल) = किग्रा
6. ग्राम पंचायत में 01 जुलाई 2006 को उपलब्ध परिवर्तन लागत = रू0
7. ग्राम पंचायत में मध्यान्ह भोजन योजना के आधार भूत सूचना तालिका:—

माह	माह में कार्य दिवसों की संख्या	' कितने दिन भोजन दिया गया	" 01 जुलाई 06 से 30 नवम्बर 06 तक कितने बच्चों ने भोजन किया	+ माह में प्राप्त खाद्यान्न (गेहूँ + चावल)	- माह में प्रयुक्त खाद्यान्न (गेहूँ + चावल)	रू माह में प्राप्त परिवर्तन लागत	/ माह में प्रयुक्त परिवर्तन लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
जुलाई							
अगस्त							
सितम्बर							
अक्टूबर							
नवम्बर							
योग							

तालिका-1- आधारभूत आंकड़े

विद्यालय का नाम प्रा0वि0 01 माह जुलाई 2006
भोजन करने वाले बच्चों की कक्षा वार संख्या

तिथि	दिवस	कक्षा-1	कक्षा-2	कक्षा-3	कक्षा-4	कक्षा-5	योग
1-7-2006	शनिवार	70	64	60	56	49	299
2-7-2006	रविवार						0
3-7-2006	सोमवार	58	46	55	54	40	253
4-7-2006	मंगलवार	50	55	49	50	38	242
5-7-2006	बुद्धवार	69	64	60	52	46	291
6-7-2006	बृहस्पतिवार	55	48	48	49	45	245
7-7-2006	शुक्रवार	45	66	50	45	49	255
8-7-2006	शनिवार	66	57	55	56	44	278
9-7-2006	रविवार						0
10-7-2006	सोमवार	69	55	58	38	49	269
11-7-2006	मंगलवार	46	48	48	40	49	231
12-7-2006	बुद्धवार	56	54	54	46	46	256
13-7-2006	बृहस्पतिवार	68	62	49	54	40	273
14-7-2006	शुक्रवार	52	48	59	49	38	246
15-7-2006	शनिवार	65	48	46	46	45	250
16-7-2006	रविवार						0
17-7-2006	सोमवार	70	55	40	56	45	266
18-7-2006	मंगलवार	52	60	49	54	38	253
19-7-2006	बुद्धवार	60	48	55	40	47	250
20-7-2006	बृहस्पतिवार	45	54	60	55	49	263
21-7-2006	शुक्रवार	55	60	54	44	30	243
22-7-2006	शनिवार	65	62	48	48	36	259
23-7-2006	रविवार						0
24-7-2006	सोमवार	58	63	55	55	49	280
25-7-2006	मंगलवार	60	55	59	40	47	261
26-7-2006	बुद्धवार	46	48	45	42	35	216
27-7-2006	बृहस्पतिवार	69	42	49	54	37	251
28-7-2006	शुक्रवार	52	60	48	56	30	246
29-7-2006	शनिवार	45	54	54	49	46	248
30-7-2006	रविवार						0
31-7-2006	सोमवार	68	52	56	55	40	271
कुल योग							6695

इस प्रकार माह जुलाई में विद्यालय संख्या 01 में कुल छात्रों ने 6695 बार भोजन किया। यदि एक ग्राम पंचायत में 3 विद्यालय हैं तो इसी प्रकार से प्रत्येक विद्यालय हेतु चार्ट बनाकर उस माह विशेष में कुल कितनी बार छात्रों ने भोजन किया यह आगणित किया जायेगा। इसी प्रकार अन्य माहों हेतु भी विद्यालयवार आगणन किया जायेगा। संदर्भगत आडिट में जुलाई 06 से नवम्बर 06 तक का विद्यालयवार आगणन किया जायेगा।

मध्यान्ह भोजन योजना
योजना का आच्छादन (प्रारूप-1)

2009 जनपद:-

माह:-

क्र०सं०	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	माह में खाद्यान्न की आवश्यकता	माह में आवंटित खाद्यान्न	माह में खाद्यान्न का उठान	माह में उपभोग किया गया खाद्यान्न	प्रतिशत आच्छादन (6/3)
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर

मध्याह्न भोजन योजना
योजना का निरीक्षण (प्रारूप-2)

जनपद:-

माह:-

क्र०सं०	टास्क फोर्स हेतु निर्धारित कुल विद्यालयों की संख्या	माह में निरीक्षित विद्यालय	विद्यालय जिनमें योजना का कार्य असंतोषजनक पाया गया	निरीक्षण दौरान विद्यालयों की संख्या जिनमें				
				विद्यालय में भोजन न दिया जाना	खाना कम मात्रा में दिया गया	खाना गुणवत्ता युक्त न होना	खाना मीनू के अनुसार नहीं था	भोजन निर्धारित समय पर न दिया जाना
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर